

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4983/2025

निसार अहमदयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभय सिंह, वीरेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"i) एक रिट, आदेश या परमादेश जारी किया जाए जिसमें तहसीलदार और उप जिलाधिकारी, मार्टिंगंज, आजमगढ़ (प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5) को निर्देशित किया जाए कि वे खतौनी और राजस्व अभिलेखों (मालिकाना रजिस्टर सहित) में सहायक चकबंदी अधिकारी, फाइनल रिकॉर्ड, मार्टिंगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा वाद संख्या 280 (निसार अहमद एवं अन्य बनाम जमालुद्दीन) में धारा 12 के तहत कार्यवाही के दौरान पारित आदेश दिनांक 30.05.1997 की प्रविष्टि करें। उक्त आदेश चकबंदी कार्यवाही के दौरान अंतिम (Final) हो चुका था और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.11.2018 को याचिकाकर्ता और रईस अहमद (प्रत्यर्थी संख्या 7) के पक्ष में पारित आदेश के आधार पर बिना परवाना के प्रभावी किया जाना है।"

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राज्य प्राधिकारी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के तहत प्रतिपादित कानूनी प्रावधानों के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.1997 को प्रभावी नहीं कर रहे हैं।

3. यह तर्क दिया गया है कि संबंधित इकाई/ग्राम को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(1) के तहत वि-अधिसूचित कर दिया गया है। धारा 6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया रद्द होने से पहले, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.1997 अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था, क्योंकि इसे किसी भी पक्ष द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, राज्य प्राधिकारी यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(2) के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त आदेश को भूमि अभिलेखों में लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण संबंधित उप संचालक चकबंदी द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। उन्हें निर्देशित किया जा सकता है कि वे

याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्शाते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले नए प्रत्यावेदन को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करें।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय मामले के गुणों पर विचार किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे इस रिट याचिका में वर्णित अपनी शिकायतों के संबंध में संबंधित उप संचालक चकबंदी (DDC) के समक्ष आज से दो सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक नया प्रत्यावेदन दाखिल करें। उक्त प्राधिकारी स्वयं या कानून के अनुसार आवश्यक सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः उसके तीन महीने की अवधि के भीतर उक्त प्रत्यावेदन पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

विनय